श्री बालामुरूगन डी०,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दिनांक 12-08-2011 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, घोषी का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :-

1. **परिचय** :- बाल विकास परियोजना कार्यालय, घोषी वर्ष 2001-02 में स्वीकृत की गई। यह ग्रामीण परियोजना है, इसका कार्यालय प्रखण्ड परिसर घोषी के सामुदायिक भवन में अवस्थित है। घोषी प्रखण्ड में कुल 10 पंचायत हैं, जिसमें कुल 89 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। जिसके विरूद्ध वर्तमान में कुल 87 आँगनबाड़ी सेविका एवं 78 आँगनबाड़ी सहायिका कार्यरत हैं।

कार्यालय में विद्युत कनेक्शन नहीं रहने के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है, बाल विकास परियोजना के द्वारा बताया गया कि अभी तक परियोजना कार्यालय के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब कनेक्शन के लिए आवेदन विद्युत कार्यालय को देना सुनिश्चित करें।

कार्यालय का रंगाई-पोताई सही नहीं रहने, कहीं-कहीं फर्श टूटे रहने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब इसकी मरम्मती कराते हुए कार्यालय का रंगाई-पोताई कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय में कहीं भी कुड़ादान नहीं रखा गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि वे अविलम्ब परियोजना कार्यालय के लिए कुड़ादान का क्रय कर किसी एक स्थान में रखें तथा उसका उपयोग करें ताकि कार्यालय में एवं कार्यालय के बाहर यत्र-तत्र गंदगी न रहें।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

2. **पदाधिकारी का स्थापना** :-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पद	पदस्थापना की अवधि
1	श्री गोपाल प्रसाद केशरी	बा0वि0परि0पदाधिकारी	12.11.2002 से 23.03.2002 तक
2	सुश्री सीमा कुमारी	बा0वि0परि0पदाधिकारी	23.03.2002 से 13.08.2002 तक
3	श्रीमती आभा शरण	बा0वि0परि0पदाधिकारी	13.08.2002 से 07.05.2008 तक
4	श्रीमती विभा कुमारी	बा0वि0परि0पदाधिकारी	07.05.2008 से 14.07.2011 तक
5	श्रीमती शबाना कश्फी	बा0वि0परि0पदाधिकारी	14.07.2011 से अब तक

3. **परियोजना में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों की स्थिति** :-

क्र०	पद का नाम	स्वीकृति	कार्यरत	रिक्त
1	बाल विकास परियोजना पदा0	01	01	0
2	सांख्यिकी सहायक	01	0	01

पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति :- 161

क्र०	नाम	पदनाम	किस तिथि से
1	श्रीमती नीलिमा कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	12.12.2008
2	श्रीमती सविता कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	13.07.2011
3	सुश्री प्रभा कुमारी	महिला पर्यवेक्षिका	15.07.2011
4	श्री अशोक कुमार	लिपिक	02.06.2010
5	श्रीमती लालमुनी देवी	अनुसेविका	01.10.2009

5. **सेविका एवं सहायिका की स्थिति :-**

बाल विकास परियोजना कार्यालय, घोसी के अंतर्गत कुल 89 ऑगनबाड़ी केन्द्र संचालित है, जिनमें से ऑगनबाड़ी सेविका/ सहायिका की स्थिति निम्नवत हैं :-

पदनाम	स्वीकृति	चयनित	कार्यरत	रिक्त	अभ्युक्ति
सेविका	89	87	87	02	
सहायिका	89	87	78	02	

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी के द्वारा बताया गया कि 09 ऑगनबाड़ी सहायिका द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि अनुपस्थित सहायिकाओं को नोटिस निर्गत करें कि क्यों नहीं उन्हें चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

6. **सेवापुस्त** :- इस परियोजना में मात्र श्रीमती निलीमा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका एवं लिपिक श्री अशोक कुमार का सेवापुस्त संधारित एवं अद्यतन है। लालमुनी देवी, अनुसेविका का समायोजन बाजार समिति से हुआ है, इनका सेवा पुस्तिका भी संधारित कर लिया गया है, परन्तु उनके सेवापुस्त में उपार्जित अवकाश का संधारण नहीं किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि परियोजना में कार्यरत सभी कर्मी का सेवापुस्त अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय उनके सेवापुस्त में उपार्जित अवकाश का संधारण किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जॉच भी करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

7. **आगत पंजी** :- आगत पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। दिनांक 10.08.2011 तक आगत पत्रों की संख्या 119 है। **आगत पंजी में प्राप्त पत्रों को किस संचिका में रखा गया है, उसे अंकित नहीं**

किया जा रहा है, न ही पंजी के सभी कॉलमों को सही ढंग से भरा जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे निर्गत पंजी के सभी कॉलमों सही ढंग से भरवाना सुनिश्चित करेंगी। **(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)**

9. **अनुक्रमणिका पंजी :- अनुक्रमणिका पंजी का संधारण नहीं किया गया है।** किसी भी संचिका पर संचिका संख्या अंकित नहीं की जा रही है। यह स्थिति अत्यंत ही गम्भीर मामला है, ऐसी स्थिति रहने पर भविष्य में संचिका के गायब होने की पूर्ण संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अनुक्रमणिका पंजी का संधारण करायें तथा संचिका में निश्चित रूप से संचिका संख्या अंकित हो, इसे सुनिश्चित करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

10. **सूचना का अधिकार पंजी** :- सूचना का अधिकार पंजी संधारित है, परन्तु इस परियोजना में अभी तक कोई भी मामला सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त नहीं हुआ है।

11. **जन शिकायत मामलों से संबंधित पंजी** :- जनशिकायत से संबंधित पंजी संधारित है, इसमें 06 (छः) मामले दिनांक 08.08.2011 तक आए हैं, जिनकी जॉच संबंधित महिला पर्यवेक्षिका से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनता दरबार/मुख्य सचिव जन शिकायत/ लोकायुक्त जन शिकायत/ आयुक्त जन शिकायत एवं जिला स्तर जनशिकायत से प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों के लिए अलग-अलग पंजी विहित प्रपत्र में संधारित करने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को दिया गया। साथ ही प्राप्त परिवाद पत्र पर त्वरित कार्रवाई कराते हुए परियोजना की मासिक बैठक में महिला पर्यवेक्षिका से इसके निष्पादन की समीक्षा भी करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

12. **कर्म पुस्तिका :- कर्म पुस्तिका का संधारण नहीं था।** जुलाई 2011 से संधारित की जा रही है, परन्तु वह निर्धारित प्रपत्र में अंकित नहीं किया जा रहा है। माह के अंत में कितने निष्पादन के लिए लम्बित है, इसका संधारण नहीं किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि कर्म पुस्तिका को निर्धारित प्रपत्र में संधारित करायें तथा माह के अंत में कितने लम्बित है तथा कितने निष्पादित किये गये हैं, निश्चित रूप से अंकित होना चाहिए, इसे सुनिश्चित करेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

13. **अवकाश पंजी** :- अवकाश पंजी दिनांक 11.08.2011 तक संधारित है।

14. **वाहन** :- इस कार्यालय में जीप बी.आर.-25/1418 आवंटित है एवं उपयोग में लाई जा रही है। बाल

ऑगनबाड़ी भवन की स्थिति :- इस परियोजना में सम विकास योजना से 10 एवं आई.ए.पी. से नौ भवन बनाए जा रहे हैं। अभी भी ऑगनबाड़ी केन्द्र पंचायत भवन, राजकीयकृत विद्यालयों, सामुदायिक भवनों में चल रहे हैं एवं कुछ केन्द्र किराये के मकान में चल रहे हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि वे ऑगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करें।

क्र.	केन्द्र का नाम एवं कोड संख्या	भवन की स्थिति		पेयजल की सुविधा	शौचालय की स्थिति
		सरकारी	किराये		

साथ ही कौन-कौन केन्द्र को राजकीयकृत विद्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। किस-किस केन्द्र के भवन निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है तथा किस-किस केन्द्र का भवन निर्माण हो गया है तथा उसे हस्तगत नहीं कराया गया है, के संबंध में भी अनुपालन प्रतिवेदन 10 दिनों के अंदर उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

16. **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना** :- इस योजना अंतर्गत 1337 आवेदन यू.टी.आई. को भेजे गये हैं, जिनमें 1124 बांड लाभार्थियों के बीच वितरीत किए जा चुके हैं, जुलाई 2011 माह में यू.टी.आई. को 51 फार्म भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत हर साल प्रत्येक केन्द्रों के लिए 10 लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2011-12 में घोसी परियोजना के लिए इस मापदण्ड के अनुसार कुल 890 लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब तक इसके विरूद्ध कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा कितना प्राप्त करने हेतु शेष पड़ा हुआ है, इसकी सूची केन्द्रवार/पंचायतवार तैयार कर 10 दिनों के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

17. **पोषाहार योजना** :- परियोजना में इस वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोषाहार मद में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में आवंटन प्राप्त है। इस राशि को दो प्रकार से व्यय की जाती हैं। 1. प्रतिदिन स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 40 बच्चों (3-6 वर्ष) एवं तीन किशोरी बालिकाओं को मेन्यू के अनुसार बनाया जाता है। 2. सुखा राशन वितरण योजना के द्वारा हर माह की 15वीं तिथि को 6 माह से 3 वर्ष के 28 कुपोषित 12 अतिकुपोषित बच्चे, 8 गर्भवती एवं 8 धात्री महिलाओं के बीच सुखा राशन अंतर्गत चावल एवं दाल को वितरण एक माह हेतु किया जाता है। अगस्त माह हेतु पोषाहार राशि का एडभाइस एवं चेक इलाहाबाद बैंक, घोसी में दिया जा चुका है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि पोषाहार वितरण का निरिक्षण नवप्रतिनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं भी कराने हेतु कार्रवाई

3	अलमीरा बड़ा	04
4	अलमीरा छोटा	03
5	दरी बड़ा	02
6	घुमावदार कुर्सी	01
7	स्टूल	01

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि वे परियोजना के हर प्रकार की सम्पत्ति को पूर्ण विवरण के साथ कार्यालय भंडार पंजी में अंकित करते हुए अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी)

19. **मदवार विवरणी :-**

क्र0	मद का नाम	राशि
1	बर्तन	4800
2	पूर्व का मानदेय	113700
3	बा0स0 योजना	87500
4	दुलार	12740
5	कहानी प्रतियोगिता	4000
6	कम्प्यूटर	34128
7	मुलन सप्ताह मद	48000
8	बेबी तौल मशीन	6900
9	जेनरेटर	6000
10	मानदेय की राशि	73734
11	कार्यालय व्यय	12.50
12	केन्द्र किराया	29465
13	दुलार	128510
14	दुरभाषा	6000
15	जीप मद	34975
16	केन्द्र आकस्मिकता	4380
17	मानदेय की पूर्व की राशि	46594
18	केन्द्र आकस्मिकता	4380

25	केन्द्र किराया	300
26	यूनिफार्म सेविका/सहायिका	7565
27	जीप मद	9952
28	कार्यालय व्यय	239
29	कार्यालय व्यय	506
30	केन्द्र किराया	3753
31	दुलार प्रशिक्षण	12210
32	मानदेय की पूर्व की राशि	38047
33	वर्दी सेविका/सहायिका	74800
34	मानदेय	20863
35	चुड़ा-गुड़ का अति0 पो0	9600
36	स्थाई अग्रिम पोषाहार की जमा राशि	21950
37	अतिरिक्त बची राशि	38828
38	मानदेय की बची राशि (10-11)	29863
39	पूर्व का पोषाहार अग्रिम	3849615
40	पोषाहार अग्रिम (08-09)	26431
41	पोषाहार अग्रिम (09-10)	36514
42	पोषाहार अग्रिम (09-10)	471925
43	पोषाहार अग्रिम (10-11)	120725
44	पोषाहार अग्रिम (10-11)	241450
45	चूड़ा गुड़ अग्रिम	422400
46	स्थाई पो0 अग्रिम	1909650
47	पोषाहार अग्रिम	82358
	कुल :	8265025.50
	(बेरासी लाख पैसठ हजार पच्चीस रूपया पचास पैसा)	

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि एक ही प्रकार के मद के लिए एक से ज्यादा मद रखे गये हैं यथा : जीप मद तीन हैं, कार्यालय व्यय तीन है, केन्द्र किराया तीन है, पोषाहार अग्रिम पाँच हैं, इस प्रकार के सभी मद को एक ही मद में स्थानांतरित कर रखें ताकि अनावश्यक मदों की संख्या अधिक न हो।

6	पूर्व पोषाहार अग्रिम	3845615
7	पोषाहार अग्रिम (08-09)	26431
8	पोषाहार अग्रिम (09-10)	36514
9	पोषाहार अग्रिम (09-10)	471925
10	पोषाहार अग्रिम (10-11)	120725
11	स्थाई पोषाहार अग्रिम (10-11)	241450
12	स्थाई पोषाहार अग्रिम (10-11)	1909650
13	चुड़ा-गुड़ अग्रिम (10-11)	417600
14	अग्रिम पोषाहार	108311
15	ईंधन का अभिश्रव	17000
	कुल :	8303853.50
		8303853-38828=8265025.50
		(बेरासी लाख, पैंसठ हजार, पच्चीस रूपया पचास पैसा मात्र)

पास बुक की मांग किये जाने पर श्री अशोक कुमार, लिपिक के द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रभार में पास बुक नहीं दिया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी के द्वारा बताया गया कि पूर्व के लिपिक **श्री रविन्द कुमार जो अभी वर्तमान में बाल विकास परियोजना कार्यालय, रतनी फरीदपुर कार्यालय में पदस्थापित हैं के द्वारा पूर्णरूपेण प्रभार नहीं दिया गया है। बार-बार कहने के बावजूद भी टालमटोल करते हुए अब तक प्रभार पूर्णरूपेण नहीं दिया जा रहा है।**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि वे 10 दिनों के अंदर नोटिस निर्गत करते हुए पूर्णरूपेण प्रभार कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में भी श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा प्रभार नहीं दिया जाता है तो दोनों कर्मियों की मिलीभगत मानते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेंगी।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी के द्वारा बताया गया कि चुड़ा-गुड़ की राशि जून, 2011 में बांटा जा चुका है, परन्तु अभी तक उसका भाउचर परियोजना को प्राप्त नहीं हुआ है। एक सप्ताह के अंदर सभी केन्द्रों से भाउचर प्राप्त कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य में सभी महिला पर्यवेक्षिका भी लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

संख्या भी अंकित नहीं किया जा रहा है, उसे अंकित कराने का निदेश बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को दिया गया। जून, 2011 माह का जो भाउचर पेंडिंग है, उससे संबंधित आंगनबाड़ी सेविकाओं को नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया गया। रजिस्टर के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कई केन्द्रों में बड़ी संख्या में राशि का भाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया है, यथा :-

रजिस्टर क्रमांक संख्या	केन्द्र का नाम	भाउचर हेतु लम्बित राशि
42	मिराबिगहा	32925
50	फरीदपुर	32925
23	अहियासा दक्षिण	120725
17	गंधारमठ	87800
13	शाहपुर	87800

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को निदेश दिया गया कि ऐसी सभी सेविकाओं की कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार करें कि किस-किस केन्द्र पर कितनी राशि लम्बित है तथा वह किस वर्ष का है, किस मद का है तत्पश्चात उन्हें नोटिस निर्गत कर भाउचर उपलब्ध कराने का निदेश दें तथा प्राप्त नहीं होने पर चयनमुक्त करने हेतु कठोर कार्रवाई करें। साथ ही प्रत्येक माह के 16वीं तारीख तक सभी केन्द्रों को अग्रिम पोषाहार का भाउचर उपलब्ध कराने हेतु निदेशित करें तथा इसका अनुपालन हरहालत में सुनिश्चित करायेंगी।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि स्वयं परियोजना कार्यालय, घोसी का निरीक्षण कर विस्तृत रूप से कैस बुक का निरीक्षण करें तथा कैस बुक के संधारण के लिए लिपिक को प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करें ताकि उनके द्वारा सही ढंग से कैस बुक का संधारण किया जा सके।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद)

21. **कम्प्यूटर :-**

परियोजना कार्यालय में लैपटॉप, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्कैनर मशीन आदि उपलब्ध है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अपने परियोजना कार्यालय में बेसिक फोन के अधिष्ठापन के लिए आवेदन दूरभाष कार्यालय में जमाकर दूरभाष लगवाना सुनिश्चित करें।

तिथि निर्धारित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी को निदेश दिया जाता है कि स्वयं भी अपने कार्यालय का समय-समय पर निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगी ताकि जो भी कमियाँ पाई जायं, उसे पूर्ण करने की कार्रवाई की जा सकें। इससे कार्यालय की कार्य-संस्कृति में भी सुधार आयेगा।

(अनुपालन : बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोषी)

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1832 /गो0, जहानाबाद दिनांक 16 वीं अगस्त, 2011

प्रतिलिपि : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जहानाबाद/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, घोसी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 1832 /गो0, जहानाबाद दिनांक 16 वीं अगस्त, 2011

प्रतिलिपि : निदेशक, आई0सी0डी0एस0 बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, जहानाबाद।